



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

### National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1052/JH/39/2023-RO-RNC

दिनांक: 21.08.2024

सेवा में,

श्री विजय युसुफ भेंगरा,  
ग्राम - चिड़िया, बाजार हाता,  
पोस्ट-चिड़िया,  
जिला-पश्चिम सिंहभूम,  
(झारखंड)

विषय: ग्राम-तिकी, पो°-जुड़दाग, थाना-करा, जिला- खूँटी, झारखण्ड के मौज़ा तिकी स्थित भूमि विवरण: थाना नं°-283, प्लॉट नं°-9 के पहान खूट की डालीकटारी भुईंहरि जमीन को सर्वे खाता में कायमी दर्ज़ कर पहान खूट के वंशज परिवारों को जमीन से बेदखल करने के संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही हेतु श्री विजय युसुफ भेंगरा, ग्राम - चिड़िया, बाजार हाता, पोस्ट-चिड़िया, जिला-पश्चिम सिंहभूम, (झारखंड) से प्राप्त दिनांक 07.01.2020 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा जी ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 28.08.2024 को पूर्वाह्न 09:30 बजे, राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदय (अ. ला.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।